



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 11.06.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.06.2021 को थाना श्रीनगर **SHO** संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित टीम जिसमें उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश व हे0का0 चुन्नूलाल, हे0का0 रामकरन , का0 तेज सिंह , रि0का0 अजय कुमार द्वारा मु.अ.सं.03/21 धारा 147/148/323/308/325/324/504/506 भादवि के वांछित अभियुक्त 1.आशाराम कुशवाहा पुत्र धूराम उर्फ धुईया उम्र 30 वर्ष 2.धूराम उर्फ धुईया पुत्र स्व.दसिया कुशवाहा उम्र 60 वर्ष 3.श्यामलाल कुशवाहा पुत्र धूराम उर्फ धुईया कुशवाहा उम्र 19 वर्ष 4.छविलाल कुशवाहा पुत्र धूराम उर्फ धुईया उम्र 21 वर्ष 5.रामदयाल कुशवाहा पुत्र धूराम उम्र 30 वर्ष 6.गोरेलाल कुशवाहा पुत्र मकुन्दी कुशवाहा उम्र 19 वर्ष को बस स्टैण्ड कैमाहा से गिरफ्तार किया गया एवं बाद आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुये वांछित अभियुक्तगणों को मान0 न्यायालय के संमक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...

- 1.उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश
- 2.हे0का0 चुन्नूलाल
- 3.हे0का0 रामकरन
- 4.का0 तेज सिंह
- 5.रि0का0 अजय कुमार



### गिरफ्तार वांछित अभियुक्तों का विवरण...

- 1.आशाराम कुशवाहा पुत्र धूराम उर्फ धुईया उम्र 30 वर्ष
- 2.धूराम उर्फ धुईया पुत्र स्व.दसिया कुशवाहा उम्र 60 वर्ष
- 3.श्यामलाल कुशवाहा उर्फ अऊआ पुत्र धूराम उर्फ धुईया कुशवाहा उम्र 19 वर्ष
- 4.छविलाल कुशवाहा पुत्र धूराम उर्फ धुईया उम्र 21 वर्ष
- 5.रामदयाल कुशवाहा पुत्र धूराम उम्र 30 वर्ष
- 6.गोरेलाल कुशवाहा पुत्र मकुन्दी कुशवाहा उम्र 19 वर्ष समस्त निवासी गण ग्राम इमिलियां थाना श्रीनगर जिला महोबा.



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 11.06.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह ने किया पुलिस लाइन/ पुलिस कार्यालय का औचक निरीक्षण एवं दिये आवश्यक दिशा-निर्देश...

आज दिनांक 11.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के द्वारा पुलिस लाइन्स / पुलिस कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस लाइन के निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम क्वार्टर गार्ड पहुंचकर गार्ड की सलामी ली गयी, जिसके उपरान्त जहां सर्वप्रथम कोविड-19 हेल्पडेस्क का निरीक्षण कर बाहर से आने-जाने वाले कर्मियों की ऑक्सीमीटर/हार्टबीट/तापमान जाँच कर रजिस्टर पर अंकित करने के निर्देश दिये गये, उनके द्वारा पुलिस लाइन स्टोर, गणना कार्यालय, जीडी कार्यालय, सब्सिडियरी कैंटीन व परिवहन शाखा का निरीक्षण किया गया तथा अभिलेखों को चेक किया गया। इसी क्रम में अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया जिसमें कार्य प्रगति की समीक्षा की गयी तथा संबंधित को कार्य को गुणवत्तापूर्वक निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

तत्पश्चात पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कार्यालय में अवस्थित समस्त शाखाओं का निरीक्षण किया जिसमें वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय / वाचक अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय / प्रधान लिपिक कार्यालय / आंकिक शाखा / एल.आई.यू. शाखा व सीसीटीएनएस शाखा का निरीक्षण करते हुये जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये, पुलिस कार्यालय परिसर में भ्रमण कर नोवल कोरोना वायरस व संचारी रोगों से बचाव हेतु साफ-सफाई व वर्षाऋतु के दृष्टिगत जल निकासी हेतु आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र, प्रतिसार निरीक्षक श्री सैनजीत सिंह व अन्य समस्त शाखाओं के प्रभारी अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 11.06.2021**

# **महोबा पुलिस**

**सोशल मीडिया सेल**



## **थाना अजनर पुलिस टीम ने वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के सफल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे जिले के वारण्टी/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान क्रम में आज दिनांक 11.06.2021 को थाना अजनर प्रभारी निरीक्षक श्री अभिमन्यू यादव के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा 01 नफर वाँछित अभियुक्त टुटिया पुत्र भवानीदीन राजपूत उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम अकौनी थाना अजनर जिला महोबा, सम्बन्धित मु0अ0सं0 74/2021 धारा 302 भादवि को गिरफ्तार किया गया एवं बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### **गिरफ्तार वाँछित अभियुक्त का विवरण...**

टुटिया पुत्र भवानीदीन राजपूत उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम अकौनी थाना अजनर जिला महोबा

### **गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण..**

1. **SHO** अजनर श्री अभिमन्यू यादव
2. का. चालक बलजीत सिंह
3. रि.का. दीपक कुमार यादव
4. रि.का.अभिषेक कुमार मौर्या





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 11.06.2021**

# **महोबा पुलिस**

**सोशल मीडिया सेल**



## **थाना चरखारी पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के.गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.06.2021 को SHO चरखारी श्री शशि कुमार पाण्डेय द्वारा गठित उ0नि0 मोबिन अली के नेतृत्व में टीम ने गोरखा बंधा ग्राम गोरखा से 01 नफर वांछित अभियुक्त सर्वेश राजपूत पुत्र महेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष नि. ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित मु.अ.स. 135/21 धारा 354/324/506 IPC IPC थाना चरखारी जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को सम्बन्धित न्यायालय भेजा जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...**

सर्वेश राजपूत पुत्र महेन्द्र सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष नि. ग्राम गोरखा थाना चरखारी जनपद महोबा

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...**

1. उ.नि. मोबीन अली
2. रि.का. सौरभ कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 11.06.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **अजनर पुलिस ने 25 लीटर अवैध शराब सहित 02 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार**



आज दिनांक 11.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत प्र०नि० अजनर अभिमन्यू यादव द्वारा गठित पुलिस/आबकारी टीमों द्वारा 1. अभियुक्ता श्रीमती करीना कबूतरा पत्नी विककी उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी कबूतरा डेरा चेकडेम ग्राम गंज थाना अजनर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया, **जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध शराब बरामद की गई।** 2. अभियुक्ता श्रीमती शर्मिली पत्नी राजू कबूतरा उम्र 28 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा ग्राम सीगौन थाना अजनर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया, **जिसके कब्जे से 15 लीटर अवैध कच्ची**

**शराब बरामद की गई।** अभियुक्तागण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु.अ.स. 106/21 व 107/21 धारा 60 आबकारी एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

### **गिरफ्तारशुदा अभियुक्ताओं का विवरण:-**

1. अभियुक्ता श्रीमती करीना कबूतरा पत्नी विककी उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी कबूतरा डेरा चेकडेम ग्राम गंज थाना अजनर जनपद महोबा।
2. अभियुक्ता श्रीमती शर्मिली पत्नी राजू कबूतरा उम्र 28 वर्ष निवासी कबूतरा डेरा ग्राम सीगौन थाना अजनर जनपद महोबा।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस/आबकारी टीम का विवरण:-**

1. उ.नि. मनोज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी धवर्वा
  2. उ.नि. हरिश्चन्द्र मिश्र
  3. का. इन्द्रजीत यादव
  4. का.जयवीर कुमार
  5. महिला का० हनी देवी
1. आबकारी निरीक्षक श्री योगश कुमार
  2. आ.का. नरेन्द्र यादव
  3. आ.महिला एचजी गायत्री सोनी



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 11.06.2021**

# **महोबा पुलिस**

**सोशल मीडिया सेल**



**वीकेंड लॉकडाउन का सभी से पालन करने की अपील - पुलिस अधीक्षक**  
**पैदल गस्त के दौरान पुलिस अधीक्षक ने की दुकानदारों/व्यापारियों से बातचीत**



आज दिनांक 11.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह मय क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ शहर के उदल चौक, मुख्य बाजार, आल्हा चौक, बस-स्टैण्ड परमानन्द तिराहा आदि जगहो पर पैदल गस्त करके संदिग्धों/बिना वजह घूम रहे लोगो की चेकिंग की गई व कोरोना संक्रमण के प्रति लोगो को जागरुक करते हुए मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेन्सिंग आदि नियमों का पालन करने की अपील की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा दुकानदारों व व्यापारियों से सुरक्षा सम्बन्धी विषयो पर चर्चा की गई एवं सभी से **वीकेंड लॉकडाउन (शुक्रवार शाम 07.00 बजे से सोमवार सुबह 07.00 बजे तक)** का पालन करने की अपील की गई।

जनपद के समस्त थानो द्वारा भी पैदल गस्त करके क्षेत्र के मुख्य बाजार/चौराहों, धार्मिक स्थल आदि जगहों पर संदिग्धों की चेकिंग की गई एवं लोगो से **वीकेंड लॉकडाउन** का पालन करने की अपील की गई।

यातायात नियमो के उल्लंघन पर **27 ई-चालान व** कोविड-19 नियमो के उल्लंघन पर **33 व्यक्तियों से 4400/-रु0 शुल्क वसूला गया।**

